फर्द अहकाम

(नियम 30)

राजस्व विविध प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2024/1196 मगनलाल पुनाराम बनाम रामलाल मीणा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

(प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151, 152 सीपीसी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
10-12-24		

प्रार्थी पुनाराम द्वारा तहसीलदार बाली को प्रस्तुत आवेदन पत्र पर बाद जांच तहसीलदार बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/1761 दिनांक 20.09.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर पत्रावली सुनवाई पर ली गई। तहसीलदार बाली ने अपने उक्त पत्रांक में वर्णित किया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा राजस्व विविध प्रकरण सं 20/2019 जीसीएमएस नंबर 2019/00252 में दिनांक 30.11.2022 को रास्ते बाबत पारित आदेश में खसरा नंबर 2479 के रकबे में लिपिकीय भूल से रकबा 0.49 हैक्टर की बजाय रकबा 0.79 हैक्टर अंकन करने से आदेश की पालना में रिकार्ड में अमल दरामद नही हो रहा है। तहसीलदार बाली के उक्त जांच प्रतिवेदन पर पूर्व निर्णीत पत्रावली तलब की गई। पूर्व निर्णीत पत्रावली में पारित आदेश एवं वर्णित भूमि ग्राम सेवाडी के खसरा नंबर 2479 की जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि का अवलोकन किया गया। जमाबंदी संवत 2076 से 2079 मे दर्ज इन्द्राज के अनुसार सेवाडी के खसरा नंबर 2479 का रकबा 0.49 हेक्टर दर्ज है, परंतु न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 के अंतिम पृष्ठ में खसरा नंबर 2479 का रकबा लिपिकीय भूल से 0.79 हैक्टर अंकन कर दिया है। जबकि राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नंबर 2479 का सही रकबा 0.49 हैक्टर होना चाहिये था। तहसीलदार बाली ने भी अपने उक्त पत्र से रकबा संशोधन का निवेदन किया है। अतः प्रार्थना पत्र राजस्व विविध में संस्थापित किया जावे। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन के पश्चात इस न्यायालय द्वारा विषयान्तर्गत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 में प्रार्थी को खसरा नंबर 2479 में से रास्ते बाबत आदेश पारित करते समय खसरा नंबर 2479 का रकबा राजस्व रिकार्ड अनुसार 0.49 हैक्टर होते हुये लिपिकीय भूल से 0.79 हैक्टर दर्ज कर दिया है। उक्त त्रुटि की वजह से आदेश की पालना में कठिनाई होना तहसीलदार बाली के कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/1761 दिनांक 20.09.2024 से होना ज्ञात है। इस संबंध में धारा 152 सीपीसी के प्रावधानो का अवलोकन किया।

152 निर्णयों, डिक्रीयों या आदेशों का संशोधन–

निर्णयो, डिक्रीयों या आदेशो में की लेखन या गणित संबंधित भूले या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमे हई गलतिया न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकेगी। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में दिनाक 30.11.2022 को पारित आदेश में खसरा नंबर 2479 के रकबे में लिपिकीय भूल से अंकन 0.79 हैक्टर की बजाय सही व वास्तविक रकबा 0.49 हैक्टर संशोधन के जरिये धारा 152 सीपीसी के प्रोविजो अनुसार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आदेश दिनांक 30.11.2022 को पारित आदेश की निरंतरता में मानते हुये तहसीलदार बाली खसरा नंबर 2479 का रकबा 0.49 हैक्टर रिकार्ड अनुसार मानते हुंये रिकार्ड में अमलदरामद के साथ नक्शे में तरमीम शुद्धि सुनिश्चित करे। प्रार्थना पत्र निर्णीत शुमार होकर पुर्व निर्णीत पत्रावली के साथ सलंग्न हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner